शिवपाल सिंह यादव,
राजस्व मंत्री ।

अर्द्ध0शा0 पत्र सं0-28/2016/406/एक-6-16 वि0स0-1/2016

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-6
लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2016

प्रिय महोदय,

जनपद लखनऊ की तहसील सदर में हजरतगंज स्थित शत्रु सम्पत्तियों पर तहसील स्टाफ के सहयोग से अवैध कब्जा किये जाने और महमूदाबाद मेंशन के प्रथम तल स्थित कल्पतरू हाल में अवैध निर्माण किये जाने विषयक " उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 " के नियम-51 के अधीन दी गयी सूचना दिनांक 06-03-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण की जिला प्रशासन से जांच करायी गयी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) से स्थलीय निरीक्षण भी कराया गया ।जांच में यह पाया गया कि हजरतगंज लखनऊ स्थित शत्रु सम्पत्ति 15- महमूदाबाद मेंशन हाल जो अभिलेखों में श्रीमती मंजुलिका गौतम पत्नी श्री राकेश गौतम को भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक द्वारा किराये पर आवंटित किया गया है, वर्तमान में इसमें कबीला रेस्टोरेंट संचालित है, जिसका क्षेत्रफल 227.13 वर्गमीटर है। सम्पर्ण क्षेत्रफल में इनके द्वारा साज-सज्जा का कार्य कराया गया है। उक्त कार्यवाही भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय द्वारा दी गयी अनुमति के क्रम में करायी गयी है। मुख्य पर्यवेक्षक, शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, शाखा लखनऊ के पत्र संख्या- श0स0अ0/लख0शाखा/332ए/2015-16 दिनांक 04-5-2015 द्वारा कतिपय शर्तों एवं प्रतिबनधों के अधीन श्रीमती मंजूलिका गौतम को कल्पतरू हाल प्रथम तल, महमूदाबाद मेंशन हजरतगंज, लखनऊ की मरम्मत हेतु अनुमति दी गयी थी। उक्त् हाल के पूर्व दिशा में स्थिति 63 × 11 = 693 वर्गफिट का कामन पैसेज गैलरी है, गैलरी पर कबीला रेस्टोरेंट (मंजूलिका गौतम) एवं यू0पी0एसवेस्टस (अमिताभ तायल) द्वारा लकड़ी की मेज आदि समान रखकर उक्त कामन मार्ग पर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 31-3-2016 को स्थानीय पुलिस बल की सहायता से हटा दिया गया है। महमूदाबाद मेंशन के दूसरी मंजिल पर रहने वाले किरायेदार श्री सतीश अग्रवाल से गैलरी के दरवाजों में बंद ताले खुलवा दिये गये है। ताले के खुल जाने से गैलरी का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित हो गया है, और कोई अतिक्रमण नहीं रह गया है। जिलाधिकारी द्वारा प्रबन्ध अधिकारी (शत्रु सम्पत्ति) /उप जिलाधिकारी, सदर लखनऊ एवं
स्थानीय पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है कि वह सतत निगरानी रखते हुये यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त गैलरी आदि में पुन: अतिक्रमण न हो पाये।

3- उल्लेखनीय है कि शत्रु सम्पत्तियों पर अवैध कब्जों को हटवाने या अवैध कब्जों से बचाने आदि की जिम्मेदारी जिला/तहसील प्रशासन की होती है। यदि शत्रु सम्पत्ति पर अवैध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कब्जे की कोई सूचना राजस्व अनुभाग-6 को प्राप्त करायी जाती है, तो उसे आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित जिला प्रशासन को भेज दिया जाता है। इस मामले के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र राजस्व अनुभाग-6 को किसी स्रोत से प्राप्त नहीं कराया गया, जिसके आधार पर राजस्व अनुभाग-6 के स्तर से कार्यवाही की जाती। अत: राजस्व अनुभाग-6 द्वारा इस मामले में कोई शिथिलता नहीं बरती गयी है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिवपाल सिंह यादव

श्री आशीष कुमार यादव,
मा0 विधायक,
बी0-65 ए, दारूल सफा
लखनऊ

संख्या-28/2016/406(1)/एक-6-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) उप सचिव, विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0 (पटल कार्यालय) को उनके पत्र संख्या-632/वि0स0/प0का0/16, दिनांक 08 मार्च, 2016 के संदर्भ में।
(2) संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
(3) राजस्व अनुभाग-14

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।